

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यमंत्रीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक ३/५।५५

जबलपुर, दिनांक ०७/०८/२०१८

कुमारी आस्था सेन, शीघ्रलेखक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को
“नीलगढ़” दिवि महाविद्यालय बलदेवबाग, जबलपुर से एलएल.बी ट्रि-वर्षीय
(उ. सेपेस्टर) पाठ्यक्रम एवं परीक्षा में नियमित छात्रा के रूप में समिलित होने की
अनुमति निम्न कित्त इतरों के अधीन प्रदान की जाती है :-

१. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया
जाएगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा।
यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपर्योग न कर सकते कार्य
पर उपस्थित होना होता है। दिन पूर्वाह्न के अवकाश का उपभोग नहीं करेगे।
२. कार्यालयीन समय में इसकीट कार्य को लगान से करना होगा, ताकि कार्य में
उपर्योग न हो तथा कार्यालयीन कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। यदि यह
ज्ञान रया कि वे इस्तीय कार्य की उपहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी
भी समय निरस्त की जा सकती है।
३. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह
अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु
अनुमति नहीं दी जावेगी।

अरविन्द कुमार शुक्ला
रजिस्ट्रार जनरल

कृष्णकरन क्रमांक ३/५।५६

जबलपुर, दिनांक ०७/०८/२०१८

उल्लिखित :-

१. रजिस्ट्रार प्रशा/कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
२. रजिस्ट्रार अई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय
की उपस्थिति पर अपलोड कराने हेतु
३. रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
४. डिक्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
५. गौर्ट ऐनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
६. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
७. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
८. कुमारी आस्था सेन, शीघ्रलेखक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

१८ दिसंबर
(नू. एस. दुबे)
रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.